रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]	दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 26, 2010/कार्तिक 4, 1932	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 181
No. 167]	DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2010/KARTIKA 4, 1932	[N.C.T.D. No. 181

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2010

सं. फा.सीईओ/20/स्वा.एवं परि.कल्या./न्यासी बोर्ड/आ.स्वा.बी.न्या./2010/699-705.—दिनांक 23-2-2010 की पूर्व अधिसूचना सं. फा. पीए/जेएस-1/स्वा. एवं परि. कल्या./न्या./2009/889—895 के अनुक्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से "आपका स्वास्थ्य बीमा न्यास" का न्यासी बोर्ड, डॉ. सुकुमार वैल्कक्ल, स्वास्थ्य अर्थशास्त्री एवं ऐड्जन्क्ट सहायक प्रोफेसर, साउथ एशिया नेटवर्क फार करोनिक डिजीज, पब्लिक हैल्थ फाउंडेशन आफ इंडिया को न्यासी बोर्ड में सम्मिलित करते हैं। डा. सुकुमार वैल्कक्ल के सम्मिलिन से बोर्ड में न्यासियों की कुल संख्या 18 (अठ्ठारह) हो जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

डा. अजय कुमार सिंगला, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 26th October, 2010

No. F. CEO/20/H&FW/Board of Trustees/ASBT/2010/699—705.—In continuation of earlier notification No. F. PA/JS//HFW/Trust/2009/889—895 dated 23-2-2010 the BOARD OF TRUSTEES of "Apka Swasthya Bima Trust", with the prior approval of the Lt. Governor of NCT of Delhi, has co-opted Dr. Sukumar Vellakkal, Health Economist and Adjunct Assistant Professor, South Asia Network for Chronic Disease, Public Health Foundation of India into the BOARD OF TRUSTEES. With the inclusion of Dr. Sukumar Vellakkal into the BOARD OF TRUSTEES the total number of Trustees will be now 18 (Eighteen).

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territoy of Delhi,

Dr. AJAY KUMAR SINGLA, Addl. Secy.

राजस्व विभाग
अधिसूचनाएं
दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2010

सं. फा. 7/1/99/रा./स्थ./स.र./पार्ट फाईल/1468.—सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 380 दिनांक 3-9-2010 के सन्दर्भ में श्री ब्रिज मोहन मिश्रा, भा.प्र.से.(AGMU:2008) ने दिनांक 6-9-2010 को उपमण्डलीय दण्डाधिकारी, (नरेला) जिला-उत्तर-पश्चिम का कार्यभार संभाल लिया है। अत:—

सं. फा. 7/1/99/रा./स्थ./स.र./पार्ट फाईल/1468.—(i).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम संख्या 17) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री ब्रिज मोहन मिश्रा, भा.प्र.से. (AGMU:2008) को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जब तक वे राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

सं. फा. 7/1/99/रा./स्थ./स.र./पार्ट फाईल/1468 (ii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का अधिनियम संख्या 3) की धारा 223 के साथ पठित धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री ब्रिज मोहन मिश्रा. भा. प्र. से. (AGMU:2008) को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जब तक वे राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

सं. फा. 7/1/99/रा./स्थ./स.र./पार्ट फाईल/1468 (iii).—दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम, संख्या 12) की धारा 76 के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री ब्रिज मोहन मिश्रा, भा.प्र.से. (AGMU:2008) को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जब तक वे राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

सं. फा. 7/1/99/रा.स्था./एस आर./पार्ट फाइल 1468 (iv).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तरी भारत नहर तथा जल निकास अधिनियम, 1873 (1873 का अधिनियम संख्या (2) की धारा 3 के खण्ड 6 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अर्न्तगत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर की सभी शक्तियों तथा कार्यों को करने अथवा अधिरोपित करने के लिए श्री ब्रिज मोहन मिश्रा, भा.प्र.से. (AGMU:2008) को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जब तक वे राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

सं. फा. 7/1/99/रा./स्था./स.र./पार्ट फाईल 1468 (v).—दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के अधिनियम संख्या 8 की धारा 3 के खंड 19 ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 परिशिष्ट में वर्णित राजस्व सहायक के कार्यों का निर्वाहन करने के लिए श्री ब्रिज मोहन मिश्रा, भा.प्र.से. (AGMU:2008) को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जब तक वे राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

सं. फा. 7/1/99/रा./स्था./स.र./पार्ट फाईल 1468 (vi).—पूर्वी पंजाब जोत चकबंदी तथा विखंडसन रोकथाम अधिनियम, 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 50) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए श्री ब्रिज मोहन मिश्रा, भा.प्र.से. (AGMU:2008)को उस समय तक व्यस्थापन अधिकारी चकबंदी के रूप में जब तक वे राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

सं. फा. 7/1/99/रा./स्था./स. र./पार्ट फाईल 1468 (vii).—दिल्ली भूमि जोत (सीमाबंदी) अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम सं. 24) की धारा 2 के खंड ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत उस समस्त क्षेत्र के लिए जहां लागू होता हो के लिए सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने के लिये श्री ब्रिज मोहन मिश्रा, भा.प्र.से. (AGMU:2008) को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जब तक वे राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

कुलदीप सिंह गंगर, अतिरिक्त सचिव

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 26th October, 2010

No. F. 7(1) /99/Rev. Estt. /S.R. /Part file/1468.—In pursuance of Services Department's Order No. 380 dated 3-9-2010 Shri Brij Mohan Mishra, IAS (AGMU:2008) has joined as Sub-Divisional Magistrate (Narela), District North-West on 6-9-2010. Now, therefore,—

No. F. 7(1) /99/Rev. Estt. /S.R. /Part file/1468 (i).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Revenue Act, 1887 (Punjab Act No. XVII of 1887) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby confers upon Shri Brij Mohan Mishra, IAS (AGMU:2008) the power of Assistant Collector, Ist class under the said Act within the National Capital Territory of Delhi so long as he holds the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Deparment or till further orders whichever is earlier.

No. F. 7(1) /99/Rev. Estt. /S. R. /Part file/1468 (ii).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 read with Section 223 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (Act No. III of 1901) as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoint Shri Brij Mohan Mishra, IAS (AGMU:2008) as Assistant Collector, Ist Grade under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, and confers upon him all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so

long as they holds the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. F. 7(1) /99/Rev. Estt. /S.R. /Part file/1468 (iii).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 read with Section 76 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi hereby appoint Shri Brij Mohan Mishra, IAS (AGMU:2008) as Assistant Collector, Ist Class and Revenue Assistant in the National Capital Territory of Delhi and confers upon him all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. F. 7(1)/99/Rev. Estt. /S. R. /Part file/1468 (iv).—In exercise of the powers conferred by Section 4 read with Clause 6 of Section 3 of the Nothern India Canal and Drainage Act, 1873 (Act No. 2 of 1873) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Shri Brij Mohan Mishra, IAS (GMU:2008) as Collector, to exercise or perform the duties conferred or imposed under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. F. 7(1) /99/Rev. Estt./S.R./Part file/1468 (v).—In exercise of the powers conferred by Clause 19-A of Section 3 of the Delhi Land Reforms Act, 1954 (Act No. 8 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory , Delhi hereby empowers Shri Brij Mohan Mishra, IAS (AGMU:2008) as Assistant Collector, 1st Class to perform the function of Revenue Assistant described in the Schedule I as appended to the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. F. 7(1)/99/Rev. Estt./SR./Part file/1468 (vi) .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (Act No. 50 of 1948) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Brij Mohan Mishra, IAS (AGMU:2008) as Settlement Officer (Consolidation) for National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. F. 7(1) /99/Rev. Estt./S.R./Part file/1468 (vii).—In exercise of the powers conferred by Clause (c) of Section 2 of the Delhi Land Holding (Ceiling) Act, 1960 (Act No. 24 of 1960) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to authorize Shri Brij Mohan Mishra, IAS (AGMU:2008) to perform the function of the Competent Authority under the said Act within the whole areas to which the provision of the said Act are applicable so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

KULDEEP SINGH GANGAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.